न्यायालयः श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड्, जिला बड्वानी (म०प्र०)

<u>आपराधिक प्रकरण क्रमांक 77 / 2013</u> संस्थन दिनांक 27.02.2013

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र अंजड़, जिला—बड़वानी म0प्र0

----अभियोगी

वि रू द्व

जगदीश पिता मांगीलाल, आयु 45 वर्ष निवासी—ग्राम हतौला, थाना अंजड़ जिला — बड़वानी म.प्र.

----अभियुक्त

// <u>निर्णय</u> //

(आज दिनांक 21.09.2015 को घोषित)

- 1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 31/2013 अंतर्गत 341, 294, 323, 506 भा.द.सं. में दिनांक 27.02.2013 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 12.02.2013 को समय रात्रि 8:00 बजे, ग्रम हतौला फरियादी के घर के सामने सीताराम उर्फ छीतु का रास्ता रोककर उसे सदोष अवरोध कारित करने, फरियादी सीताराम उर्फ छीतु को मॉ—बहन की अश्लील गॉलिया सार्वजिनक स्थान पर देकर उसे व अन्य व्यक्तियों को क्षोभ कारित करने, फरियादी सीताराम उर्फ छीतु को मारपीट कर स्वैच्छया उपहित कारित करने तथा फरियादी सीताराम को जान से मारने की धमकी देकर उसे संत्रास देने के आशय से आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में धारा 341, 294, 323, 506 भा.दंस. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
- 2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण में अभियोजन साक्षी अभियुक्त को जानते है तथा पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

- अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 3. 12.02.2013 को रात्रि 8:00 बजे फरियादी सीताराम उर्फ छीतु घर के सामने खड़ा था कि उसका पड़ोसी अभियुक्त जगदीश ने फरियादी को मॉ-बहन की अश्लील गॉलिया दी तथा गॉलिया देने से मना किया तो अभियुक्त ने लकडी हाथ में लेकर आया व एकदम से फरियादी के सिर में कान के उपर दाहिनी ओर मारी जिससे रक्त निकलने लगा तथा अभियुक्त रास्ते में खडा हो गया और अभियुक्त फरियादी खेत की बात पर से गालिया देकर जान से मारने की धमकी भी दी थी, फरियादी के चिल्लाने पर विजय, दिनेश आदि ने बीच-बचाव किया। पुलिस ने फरियादी सीताराम उर्फ छीतु द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 31/2013 अंतर्गत धारा 341, 294, 323, 506 भा.द.स. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 1 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। पुलिस ने फरियादी विजय की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया। पुलिस ने अभियुक्त अभियुक्त से एक नीम की लकड़ी जप्त कर प्रदर्शपी 4 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके कहे अनुसार लेखबद्ध कर अभियुक्त के विरूद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तृत किया गया
- 4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालीन न्यायिक मिजस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 341, 294, 323, 506 भाग—2 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में कोई भी साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है –

- 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 12.02.2013 को समय रात्रि 8:00 बजे, ग्रम हतौला फरियादी के घर के सामने सीताराम उर्फ छीतु का रास्ता रोककर उसे सदोष अवरोध कारित किया ?
- 2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सीताराम उर्फ छीतु को मॉ—बहन की अश्लील गॉलिया सार्वजनिक स्थान पर देकर उसे व अन्य व्यक्तियों को क्षोभ कारित किया ?
- 3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सीताराम उर्फ छीतु को मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की ?

4. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सीताराम को जान से मारने की धमकी देकर उसे संत्रास देने के आशय से आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

यदि हॉ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादी सीताराम उर्फ छीतु (अ.सा.1), राधेश्याम (अ.सा.2), विजय (अ.सा.3), सहायकउप निरीक्षक रूखडूसिंह मण्डलोई (अ.सा.4), दिनेश (अ.सा.5), सहायक उपनिरीक्षक गजानंद सोनी (अ.सा.6) एवं डॉ.महेश निगवाल (अ.सा.7) के कथन कराये गये हैं, जबिक अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार उक्त विचारीय 3 प्रश्न के संबंध में

उक्त विचारणाय प्रश्न के संबंध में फरियादी सीताराम उर्फ छीत् अ.सा.1 का कथन है कि लगभग 1 वर्ष पूर्व रात्रि 8 से 8:30 बजे की घटना है। अभियुक्त ने उसके सिर में लटढ मार दिया था। उसने घटना की रिपोर्ट थाना अंजड पर की थी जो प्रदर्शपी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण करवाया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त उसके बड़े भाई का पुत्र है। जमीन के बंटवारे उसके द्वारा कराये गये थे। उनका खेत पास-पास है। घटना के दो माह पूर्व अभियुक्त द्वारा उसके हिस्से की जमीन विक्रय कर दी गई थी। अभियुक्त से उसकी लगभग 30 वर्ष से बातचीत बंद है। अभियुक्त से उसके मकान की दूरी लगभग 54 फीट पर है। अभियुक्त से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई थी। अभियुक्त ने दोड़कर आकर अचानक मार दिया था। साक्षी का यह भी कथन है कि विजय एवं दिनेश उसके घर के पास रहते है। पूर्व में वह ग्रामसेवक के पद पर था। साक्षी ने स्वीकार किया कि गाँव में अधिकांश व्यक्ति मदिरापान करते है, लेकिन वह मदिरापान किये हुए नहीं था। साक्षी इस सुझाव से इंकार किया कि रात्रि में पेशाब करने उठा था और खुद गिर गया था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसे राधेश्याम अंजड़ थाने पर लेकर आया था और थाने के बाद अस्पताल लेकर गया था। अभियुक्त ने उसे बांस के लट्ठ से मारा था। अभियुक्त ने उसके घर पर आकर मारपीट की थी लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्त को फंसाने के लिए असत्य कथन कर रहा है।

- 8. राधेश्याम असा 2 का कथन है कि वह फरियादी एवं अभियुक्त को जानता है। लगभग 4—5 माह पूर्व रात्रि 8—9 बजे की घटना है। उसे दिनेश ने आकर बताया था कि अभियुक्त ने फरियादी को लकड़ी से मार दिया था। वह घटनास्थल पर गया जहाँ पर उसने सीताराम के माथे से रक्त निकलते हुए देखा था। उसके बाद वह सीताराम को लेकर पहले थाना अंजड़ गया था उसके पश्चात् जिला चिकित्सालय बड़वानी गया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि फरियादी उसका मामा है तथा अभियुक्त उसके मामा का पुत्र है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि फरियादी की बातचीत अभियुक्त से पहले से ही बंद है। साक्षी ने स्वीकार किया कि गांव में अधिकांश लोग मदिरापान करते है तथा शाम को लगभग 6—7 बजे सो जाते है लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह फरियादी के बताये अनुसार असत्य कथन कर रहा है।
- 9. विजय असा 3 ने भी रात्रि लगभग 7:30 बजे सीतारमा के सिर में चोंट होने से उसे वाहन तक छोड़ने के संबंध में कथन किये है। इस साक्षी ने नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 के ए सेए भाग पर अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किये है। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभुियक्त ने उसके सामने फरियादी को सिर में लकड़ी मार दी थी अथवा उसने उक्त विवाद में बीच—बचाव किया था। यहाँ तक कि साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 3 का कथन देने से भी इंकार किया है। बचाव पृक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त एवं फरियादी आपस में रिश्तेदार है व फरियादी एवं अभियुक्त की आपस में पहले से ही बातचीत बंद है। साक्षी ने स्वीकार किया कि फरियादी मदिरापान करता है और यदि मदिरापान कर गिर गया हो तो उसे जानकारी नहीं है।
- 10. दिनेश असा 5 ने भी फरियादी एवं अभियुक्त को पहचानने के अतिरिक्त अन्य कोई कथन अभियोजन के समर्थन में नहीं किये है। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन के समस्त सुझावों से इंकार किया है, यहाँ तक कि पुलिस को कथन देने से भी इंकार किया है। संभवतः उक्त साक्षी फरियादी एवं अभियुक्त दोनो को पहचानने के कारण जानबूझकर अभियोजन के समर्थन में कथन नहीं कर रहा है।
- 11. सहायक उपनिरीक्षक गजानंद सोनी असा 6 ने दिनांक 12.02.2013 को थाना अंजड़ में फरियादी सीताराम द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट उसके कहे अनुसार लेखबद्ध करने और प्रदर्शपी 1 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किये है। साक्षी का यह भी कथन है कि आहत को उसने मेडिकल परीक्षण हेतु शासकीय चिकित्सालय अंजड़ भेजा था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे फरियादी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई थी।

- 12. सहायक उपिरीक्षक आर.एस मण्डलोई असा 4 का कथन है कि दिनांक 12.02.2013 को उसने थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 31/13 की विवेचना के दौरान घटनास्थल ग्राम हतौला पहुँचकर विजय के बताये अनुसार नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने फिरयादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने अभियुक्त से एक नीम की लकड़ी प्रदर्शपी 4 के अनुसार जप्त की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि फिरयादी एवं अभियुक्त रिश्तेदार है, लेकिन उनके मध्य जमीन की बात को लेकर विवाद की जानकारी होने से इंकार किया है। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि फिरयादी एवं अभियुक्त का घर पासपास है और यदि कोई आवाज दे या बातचीत करे तो घटनास्थल पर आसानी से सुनाई दे सकता है। लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने साक्षियों के कथन मन से लेखबद्ध कर लिये या असत्य प्रकरण बनाया है।
- 13. डॉ. महेश निगवाल असा 7 का कथन है कि दिनांक 12.02.2013 को उसने थाना अंजड़ के आरक्षक विनोद के लाने पर आहत सीताराम पिता हरचंद आयु 70 वर्ष निवासी ग्राम हताला का मेडिकल परीक्षण कर उसके सिर के दाहिनी ओर अग्रभाग पर एक फटा हुआ घाव 2 x 1 इंच का पाया था तथा सिर के दाहिनी ओर 1 x 1 इंच की सूजन होना पाई थी, जो चोंटें सख्त अथवा बोथरी वस्तु से परीक्षण के 24 घंटे के भीतर की थी। साक्षी ने उसका परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 7 भी प्रमाणित किया है।
- 14. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त एवं फरियादी के मध्य जमीन को लेकर पुराना विवाद है इस कारण फरियादी ने यह असत्य रिपोर्ट की है। उनका यह भी तर्क है कि चश्मदीद साक्षियों ने अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है।
- 15. यह सही है कि फरियादी एवं अभियुक्त के मध्य जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद है। लेकिन फरियादी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने इसी विवाद के कारण अभियुक्त के विरूद्ध असत्य रिपोर्ट लिखाई है। फरियादी अभियुक्त का चाचा है। ऐसी स्थिति में मामूली विवाद को लेकर फरियादी द्वारा अपने भतीजे के विरूद्ध असत्य रिपोर्ट लिखाया जाना स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है। अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को फरियादी को सिर में लट्ड मारने के संबंध में सीताराम असा 1 का कथन पूर्णतः विश्वसनीय है जिसका समर्थन राधेश्याम असा 2 एवं विजय असा 3 के कथन से भी होता है। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षियों के कथनों का कोई खण्डन नहीं हुआ है। इस घटना की रिपोर्ट तत्काल बाद फरियादी ने रात्रि में ही थाना अंजड़ में दर्ज कराई है जहाँ से उसे मेडिकल परीक्षण पर भेजे जाने पर डॉ. महेश असा 7 ने फरियादी के सिर एवं चेहरे पर सख्त अथवा बोथरी वस्तु से चोंटें होना पाई है, जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है।

- 16. जहाँ तक साक्षियों के कथनों में मामूली विरोधाभास एवं विसंगतियाँ है वहाँ साक्षीगण एवं फरियादी ग्रामीण पृष्टभूमि के व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में उनके कथनों में आये विरोधाभास एवं विसंगति स्वाभाविक है तथा उनके सिखाये एवं पढ़ाये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है।
- 17. इस प्रकार अभियोजन की साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, स्थान एवं समय पर फरियादी सीताराम उर्फ छीतु असा 1 को सख्त अथवा बोथरी वस्तु लट्ठ से सिर में मारकर उसे स्वैच्छयापूर्वक उपहित कारित की जो कि भा.द.स. की धारा 323 का अपराध है। अतः न्यायालय अभियुक्त जगदीश को भा.द.स. की धारा 323 में दोषसिद्ध घोषित करता है।

विचारणीय प्रश्न कमांक 1, 2 एवं 4 के संबंध में

- 18. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में सीताराम असा 1 का कथन है कि अभियुक्त उसके घर के सामने गालिया दे रहा था तब उसने अभियुक्त को गालिया देने से मना किया तो अभियुक्त ने जान से खत्म करने की धमकी दी थी। लेकिन साक्षी का यह कथन नहीं है कि अभियुक्त द्वारा उसे कौन—कौन सी गॉलिया दी गई थी, जिससे उसे सुनकर क्षेाम कारित हुआ अथवा अभियुक्त द्वारा दी गई धमकी से वह भयभीत हो गया अथवा अभियुक्त द्वारा रास्ता रोककर उसे सदोष अवरोध कारित किया गया। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध भा.द.स. की धारा 341, 294, 506 भाग—2 के अपराध प्रमाणित नहीं होते हैं। अतः उक्त धाराओं में अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।
- 19. चूँकि अभियुक्त को भा.द.स. की धारा 323 में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। प्रकरण की परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को परीविक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सजा के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय स्थिगत किया जाता है।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला—बड़वानी म0प्र0

पुनश्चः

- 20. सजा के प्रश्न पर अभियुक्त एवं उसके अधिवक्ता को सुना गया। उनका यह निवेदन है कि अभियुक्त ग्रामीण पृष्टभूमि का व्यक्ति है तथा प्रकरण का शीघ्रतापूर्वक सामना किया है। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये।
- 21. यह सही है कि अभियुक्त ने विचारण का शीघ्रता से सामना किया है तथा जमीन के बंटवारे को लेकर उक्त घटना घटित हुई। इसलिए अभियुक्त को कारावास से दिण्डत करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायालय अभियुक्त जगदीश को भा.द.स. की धारा 323 में दोषसिद्ध ठहराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास तथा रूपये 1000/— के अर्थदण्ड से दिण्डत करता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की दशा में अभियुक्त 1 माह का साधारणा कारावास पृथक से भुगतेगा।
- 22. अर्थदण्ड की राशि अदा होने पर उसमें से रूपये 500 / रूपये आहत / फरियादी सीताराम उर्फ छीतु को अपील अवधि पश्चात् प्रदान किये जाये। अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।
- 23. अभियुक्त सीताराम उर्फ छीतु का अभिरक्षा में रहने के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के प्रमाण पत्र बनाया जाये।
- 24. निर्णय की एक प्रति अभियुक्त जगदीश को अविलंब निःशुल्क दी जाये।
- 25. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति एक नीम की लकड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड जिला–बड़वानी, म0प्र0

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डे्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला—बड़वानी, म0प्र0

न्यायालयः श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला–बडवानी म०प्र0

// धारा ४२८ द.प्रं.सं. के अंतर्गत //

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डे्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 77/2013 (शासन पुलिस अंजड़ विरूद्व जगदीश) मे नीचे लिखे अनुसार अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ—

अभियुक्त का नाम :— जगदीश पिता मांगीलाल, आयु 45 वर्ष निवासी—ग्राम हतौला, थाना अंजड़ जिला — बड़वानी म.प्र.

गिरफ्तारी की दिनांक :- 14.02.2013

पुलिस रिमाण्ड की दिनांक :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त निरक रहा है।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला—बड़वानी म0प्र0